

शासी निकाय की बैठक दिनांक 12.05.2016 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 12.05.2016 को शासी निकाय की बैठक महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे –

- 1– डॉ. एस.आर कमलेश, प्राचार्य
- 2– डॉ. वी.टी. पाठिल, अध्यक्षा
- 3– डॉ. एच.एस. होता, सदस्य
- 4– डॉ. आर.एन पाण्डेय, सदस्य
- 5– डॉ. बी.एल. गोयर्ल, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा
- 6– डॉ. किरण बाजपेयी, सदस्य
- 7– डॉ. वी.के. शर्मा, सदस्य
- 8–डॉ. ए.पी. गोस्वामी, नियंत्रक, स्वशासी प्रकोष्ठ
- 9– डॉ. कावेरी दाभड़कर, प्रभारी स्वशासी समिति

बैठक में सर्वप्रथम प्राचार्य, डॉ. एस.आर कमलेश द्वारा सभी सम्मानीय सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए डॉ. श्रीमती कावेरी दाभड़कर द्वारा पिछली बैठक के कार्यवृत्त का पठन किया गया। कार्यवृत्त पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी। तत्पश्चात वित्त समिति एवं विद्या परिषद द्वारा संस्तुत प्रस्तावों को क्रमानुसार शासी निकाय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण इस प्रकार है :–

प्रस्ताव क्रमांक – 1 ऑनर्स पाठ्यक्रम, सी.बी.सी.एस. लागू करने हेतु
अनुमोदन।

स्नातक स्तर पर आनर्स पाठ्यक्रम व सी.बी.सी.एस. प्रणाली क्रियान्वित करने हेतु बिलासपुर विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 905/अका./204 बिलासपुर दिनांक 23.07.2014 के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों की सर्वसम्मति से (बैठक दिनांक 24.06.2015) निम्न विषयों में आनर्स व सी.बी.सी.एस. प्रणाली लागू करना प्रस्तावित है।

- (1) आनर्स पाठ्यक्रम : भूगोल, वाणिज्य, गृहविज्ञान, इतिहास।
- (2) सी.बी.सी.एस : विभागाध्यक्षों की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार सेमेस्टरवार सी.बी.सी.एस. प्रणाली निम्नानुसार लागू की जावेगी।

सेमेस्टर

विषय

तृतीय सेमेस्टर

अर्थशास्त्र, वनस्पति शास्त्र

चतुर्थ सेमेस्टर

इतिहास, प्राणी शास्त्र, गृह विज्ञान, वाणिज्य

पंचम सेमेस्टर

भूगोल, रसायन शास्त्र

षष्ठम सेमेस्टर

कौशल विकास

अतः उपरोक्तानुसार आनर्स व सी.बी.सी.एस प्रणाली (Choice based Credit System) क्रियान्वित करने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निर्णयः— बिलासपुर विश्वविद्यालय के आदेश के परिपालन में इस प्रस्ताव का यथावत् अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रमांक – 2 स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन

- (1) स्नातक स्तर पर वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत भाग तीन हेतु सभी संकायों (बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी/बी.एससी. गृहविज्ञान/कलीनिकल न्यूट्रीशन, फूड एवं क्वालिटी कंट्रोल/बी.सी.ए.) तथा पी.जी.डी.सी.ए/डी.सी.ए के पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
- (2) स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के सभी विषयों के पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
- (3) स्नातक स्तर में तृतीय सेमेस्टर से लागू भूगोल, इतिहास, वाणिज्य, गृहविज्ञान विषय के आनर्स पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत।
- (4) स्नातकोत्तर स्तर के विभिन्न विषयों (अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र अर्थशास्त्र, इतिहास, प्राणीशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, एम.कॉम, आहार एवं पोषण, मानव विकास, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाईडेंस एण्ड काउंसलिंग, बी.लिब आई.एस.सी के अध्ययन मंडल द्वारा पारित सेमेस्टर पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

(5) अर्थशास्त्र, इतिहास, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, रसायनशास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य विषय के सी.बी.सी.एस प्रणाली के पाठ्यक्रम अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सभी पाठ्यक्रम सर्वसम्मति से अनुमोदित किये गये।

प्रस्ताव क्रमांक–3 आनर्स पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु नियमों का अनुमोदन

सत्र 2015–16 से तश्तीय सेमेस्टर से भूगोल वाणिज्य, इतिहास व गश्विज्ञान बी.सी.ए. विषय में आनर्स पाठ्यक्रम लागू हो रहा है। अतः आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उपरोक्त विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा दिनांक 13.07.2015 व 14.08.2015 में निम्नानुसार निर्णय लिये गये:—

- (1) आनर्स पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर से ही प्रवेश की पात्रता छात्राओं को होगी किन्तु पाठ्यक्रम तृतीय सेमेस्टर से ही क्रियान्वित होगा।
- (2) आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता 60% निर्धारित की गयी। अनुजाति व जनजाति हेतु नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता में 5% छूट दी जावेगी।
- (3) आनर्स पाठ्यक्रम हेतु सीट्स का निर्धारण प्रवेश के समय ही किया जावेगा। जिन विषयों में आनर्स पाठ्यक्रम लागू है उन विषयों में कुल सीट संख्या की 20% सीट संख्या आनर्स पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित की गयी। तदनुसार सत्र 2015–16 से प्रारंभ विभिन्न विषयों के लिये सीट की संख्या इस प्रकार होगी—
- (1) भूगोल – 30
(2) इतिहास – 30

(3) वाणिज्य – 40

(4) बी.एस.सी गृह विज्ञान – 10

(5) बी.एस.सी क्लीनीकल न्यूट्रीशियन – 15

(6) बी.सी.ए – 50

- (4) आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शासकीय आरक्षण नीति के अनुसार होगी।
- (5) प्रथम सेमेस्टर में आनर्स पाठ्यक्रम के चयन के पश्चात् यदि छात्रा प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हो अथवा बैक हो, तो वह आनर्स पाठ्यक्रम हेतु अपात्र होगी। तृतीय सेमेस्टर में नये विद्यार्थी भी आनर्स पाठ्यक्रम ले सकते हैं।
- (6) विद्यार्थी आनर्स पाठ्यक्रम को परिवर्तित कर पास पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है। इस हेतु उसे आनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के 15 दिन के भीतर आवेदन देना होगा।
- (7) बी.सी.ए. पाठ्यक्रम पूर्णतः आनर्स पाठ्यक्रम होने के कारण प्रवेश नियम छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार यथावत रहेंगे।
प्रवेश संबंधी शेष नियम छ.ग. शासन व बिलासपुर विश्वविद्यालय के प्रवेश नियम के अनुसार यथावत रहेंगे।

उपरोक्त निर्णयानुसार आनर्स पाठ्यक्रम से संबंधित प्रवेश नियम विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः— उपरोक्त प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने गहन विचार विमर्श करते हुए इसे यथावत् पारित किया।

प्रस्ताव क्रमांक-4 गृह विज्ञान एवं वाणिज्य विभाग द्वारा प्रस्तुत नये पाठ्यक्रमों का अनुमोदन

महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की बैठक (14.07.2015) में गृहविज्ञान की छात्राओं की मांग पर स्ववित्तीय आधार पर फैशन डिजाइनिंग का रोजगारउन्मुख पाठ्यक्रम तथा वाणिज्य विभाग द्वारा एम.लिब. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई। उक्त पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रक्रिया के अनुमोदन हेतु जनभागीदारी समिति के द्वारा पारित प्रस्ताव यथावत विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

वाणिज्य विभाग द्वारा टैली प्रशिक्षण संस्थान के साथ एम.ओ.यू करके महाविद्यालयीन वाणिज्य संकाय की छात्राओं के लिये स्ववित्तीय आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव भी विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः— विद्या परिषद के सभी सदस्यों ने इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया एवं विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान से संपूर्ण पाठ्यक्रम का जानकारी ली गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्नातक स्तर पर छात्राएं फैशन डिजाइनिंग का प्रश्न पत्र वैकल्पिक प्रश्न पत्रों के रूप में अध्ययन कर सकती हैं। उन्हें बी.एस.सी. फैशन डिजाइनिंग की उपाधि प्राप्त होगी।

विद्या परिषद के सभी सदस्यों ने इसे संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया त्वरित कर पाठ्यक्रम को क्रियांवित करने की अनुशंसा किये। छात्राओं को रोजगारउन्मुख बनाने की दिशा में इस कदम का स्वागत् सभी सदस्यों द्वारा किया गया।

वाणिज्य विभाग द्वारा टैली प्रशिक्षण संस्थान के साथ एम.ओ.यू करके महाविद्यालयीन वाणिज्य संकाय की छात्राओं के लिये स्ववित्तीय आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव भी विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिससे सभी सदस्यों ने स्वीकृत किया।

प्रस्ताव क्रमांक—5 संस्कृत विषय के अध्ययनमंडल के सदस्य का अनुमोदन।

महाविद्यालय के संस्कृत विषय के अध्ययनमंडल के सदस्य श्री त्रिपाठी जी के निधन के कारण प्राचार्य द्वारा पूर्व गठित अध्ययनमंडल में परिवर्तन कर (No.457/Auto.BOS/2015, Bilaspur Dated 15.07.2015) डॉ. एस. तिवारी को सदस्य मनोनित किया है। संस्कृत विषय के अध्ययनमंडल हेतु प्राचार्य द्वारा मनोनित सदस्य के अनुमोदन हेतु विद्यापरिषद् के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णयः— इस प्रस्ताव का ध्वनिमत से अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी नये प्रस्ताव को लाया नहीं गया परंतु विद्या परिषद के सदस्यों ने महाविद्यालय के अध्ययन एवं अध्यापन के उन्नयन हेतु एक सलाहकार समिति के गठन हेतु परामर्श दिया एवं प्राचार्य के निर्देशानुसार इस समिति के गठन करने की संस्तुति की।

अंत में स्वाशासी परीक्षा नियंत्रक डॉ.ए.पी. गोस्वामी द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 15.10.2015 में संस्तुत प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत

प्रस्ताव – 1 आनर्स परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का प्रस्ताव

महाविद्यालय में सत्र 2015–16 से आनर्स पाठ्यक्रम कियान्वित हो गया है। प्रवेश शुल्क में इस पाठ्यक्रम हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है। परीक्षा संबंधी विविध कार्यों के संपादन जैसे परीक्षा प्रश्नपत्र की सेटिंग, मुद्रण, प्रायोगिक कार्य, अंकसूची आदि के लिए परीक्षा शुल्क में वृद्धि आवश्यक है। अतः सभी विभागाध्यक्षों की बैठक (23.08.2015) व आई.क्यू.एसी. की बैठक (21.09.2015) तथा अकादमिक कौन्सिल बैठक (07.09.2015) की सहमति से आनर्स पाठ्यक्रम में परीक्षा शुल्क 100/- लेने का प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णय – प्रति सेमेस्टर 100/- प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क लेने का प्रस्ताव पारित हुआ।

प्रस्ताव 2 – स्वशासी अनुदान 2013–14 के अंतर्गत किये गये व्यय का अनुमोदन

महाविद्यालय को सत्र 2013–14 हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भोपाल द्वारा स्वशासी अनुदान रु. 20,00,000/- (पत्र क्रमांक 19-16(17)/ 87 (B1) desk AC / CRO दिनांक 20.03.2014) प्राप्त हुआ है। यह राशि शासकीय क्य नियम के पालन करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मदों के अनुसार व्यय की जा चुकी है। व्यय किये गये राशि की अंकेक्षित रिपोर्ट अवलोकनार्थ व संस्तुति हेतु प्रस्तुत। साथ ही 2011–12, 2012–13, 2014–15 के लिए स्वशासी अनुदान की प्रत्याशा में किये गये व्यय का विवरण भी यू.जी.सी को समायोजन हेतु भेजने की संस्तुती हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत।

निर्णय – सभी सदस्यों ने अंकेक्षित रिपोर्ट एवं तत्संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन किया व सर्वसम्मति से इसे संस्तुत किया। साथ ही डॉ. व्ही.के. शर्मा द्वारा सलाह दी गई कि आगामी अनुदान आने पर वित्त समिति की सलाह पूर्व में लेकर तत्पश्चात् व्यय की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी चाहिए।

प्रस्ताव 3 – विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के द्वारा अंकसूची में प्रतिहस्ताक्षर हेतु पारिश्रमिक का प्रस्ताव।

महाविद्यालय के विभिन्न परीक्षाओं की अंकसूची को विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है। महाविद्यालय के प्राचार्य व परीक्षा नियंत्रक को अंकसूची स्वहस्ताक्षरित करने हेतु

पारिश्रमिक दिया जाता है। पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नियंत्रक की “मुद्रा” लगाकर यह कार्य किया जाता था। वर्तमान में प्रतिहस्ताक्षरित सील के स्थान पर स्वहस्ताक्षरित अंकसूची होती है। अतः विभिन्न परीक्षाओं के अंकसूची पर स्वप्रतिहस्ताक्षर हेतु विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को 3/- प्रति अंकसूची पारिश्रमिक करने का प्रस्ताव प्रस्तुत ।

निर्णय – इस प्रस्ताव पर सदस्यों ने विचार-विमर्श किया । परीक्षा नियंत्रक के द्वारा प्रति हस्ताक्षर हेतु इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य महाविद्यालयों द्वारा क्रमशः /- (शासकीय ई. आर.आर. विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर) एवं /- (शासकीय के.जी. महाविद्यालय रायगढ़) लिया जात है अतः उल्लेखित दोनों महाविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली राशि में से न्यूनतम राशि इस महाविद्यालय द्वारा दिये जाने की समिति अनुशंसा करती है ।

प्रस्ताव – 4 परीक्षा आवेदन पत्र विलंब शुल्क का प्रावधान ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.07.2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार छात्राओं को परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा करने की परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन न देने पर 200/- विलंब शुल्क (10 दिन) का निर्धारित किया गया था। वर्तमान में अनेक छात्राएं 10 दिनों के उपरांत भी फार्म जमा करने हेतु जागरूक नहीं रहती है। अतः समय सीमा में कार्य संपादन व छात्राओं को परीक्षा फार्म के जमा करने जैसे संवेदनशील मुद्दे के प्रति गंभीर करने हेतु 10 दिनों पश्चात यदि कोई छात्र परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं करती तो प्रतिदिन 50/- की दर से अतिरिक्त विलंब शुल्क जमा करने का प्रस्ताव विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत । उल्लेखनीय है कि बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा यह राशि रु.100 रखी गयी है ।

निर्णय – इस प्रस्ताव का सभी ने अनुमोदन किया परंतु इसको व्यावहारिक बना लेने की सलाह दी। इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करते हुए डॉ. व्ही.के. शर्मा ने कहा कि छात्राएं इसी महाविद्यालय की हैं एवं गरीब तथा गांव देहात की है अतः इसे 10/- प्रति दिन करना उचित होगा ।

**प्रस्ताव – 5 नामांकन प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि के बाद विलंब शुल्क
हेतु प्रस्ताव**

महाविद्यालय में नामांकन शुल्क प्रवेश के समय ही ले लिया जाता है। किंतु व्यवहार में यह देखा जाता है कि छात्राएं परीक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक नामांकन पत्र भरकर जमा नहीं करती है। अतः निर्धारित तिथि के 10 दिनों तक नामांकन प्रपत्र जमा नहीं करने की स्थिति में 100/- विलंब शुल्क तथा यदि 10 दिनों के भीतर भी कोई छात्र नामांकन पत्र जमा नहीं करती तो 50/- प्रतिदिन अतिरिक्त विलंब शुल्क का प्रस्ताव विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय – सभी सदस्यों ने इस पर विचार करते हुए विलंब शुल्क राशि को 50/- के स्थान पर 20/- करने का निर्णय लिया एवं परीक्षण करने के पश्चात् यदि फिर भी छात्राओं द्वारा विलंब से फार्म भरना जारी रहा तो वित्त समिति की अनुशंसा से इसे 50/- कर दिया जावेगा।

प्रस्ताव – 6 डाटा एंट्री आपरेटर की नियुक्ति

महाविद्यालय में छ.ग. शासन की परियोजना Student Life Cycle व Know Your College के अंतर्गत छात्राओं की समस्त व्यक्तिगत जानकारी कम्प्यूटरीकृत की जानी है। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा आदि का भी कम्प्यूटरीकरण किया जाना है। इस हेतु शासन द्वारा Chips के माध्यम से Software प्रदत्त किये गये हैं। जिसमें महाविद्यालय की समस्त जानकारी Upload करनी है साथ ही अध्ययनरत छात्राओं का विस्तृत विवरण भी Upload करना होगा। स्वशासी कार्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर टायपिस्ट द्वारा परीक्षा संबंधी कार्यों का संचालन किया जाता है। अतः इस कार्य हेतु एक Data Entry Operator की आवश्यकता होगी। इस कार्य के लिए Data Entry Operator को रु. 8000/- प्रतिमाह देय होगा। यह व्यय स्वशासी विकास मद के द्वारा किया जावेगा। अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत।

निर्णय – इस प्रस्ताव का सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया।

प्रस्ताव – 7 स्वशासी प्रकोष्ठ में तृतीय श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति का प्रस्ताव।

वर्तमान समय में महाविद्यालय में सी.बी.सी.एस. प्रणाली, सेमेस्टर व आनर्स व्यवस्था क्रियान्वित की जा चुकी है। इसके फलस्वरूप स्वशासी विभाग में कार्यों की अधिकता के कारण महाविद्यालय के ही एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी को नियमित रूप से निर्धारित कार्यावधि के अतिरिक्त समय में कार्य करने हेतु अंशकालीन रूप से संलग्न किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। इस कार्य के लिए 500/- प्रतिमाह मानदेय दिया जावेगा।

निर्णय – उपरोक्त प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव – 8 महाविद्यालय के स्वशासी विभाग के बजट 2015–16 का अवलोकन व अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

प्रस्ताव – 9 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।